भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1340

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज के किसानों को वित्तीय सहायता

1340. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्याज किसानों को हुई हानि का आकलन किया है और यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्याज किसानों, विशेषकर महाराष्ट्र को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): अपरिहार्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, देश में खरीफ 2016 सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की गई है। पीएमएफबीवाई किसानों के लिए बहुत न्यूनतम प्रीमियम पर खाद्य फसलों (अनाज, मिलेटस और दलहन), तिलहन और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद के चरणों तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। प्याज की फसल को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत प्याज की फसल को अधिसूचित किया है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार के अलावा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में एक या अधिक मौसम में प्याज की फसल को अधिसूचित किया है।

पीएमएफबीवाई मुख्य रूप से 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है, जहां किसानों या संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र की उपज के आंकड़ों और योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना फार्मूले के आधार पर, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और बीमित किसान के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।

तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने एवं प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। किसानों को संबंधित बीमा कंपनी, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों/बैंकों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) या पीएमएफबीवाई ऐप आदि पर ऑनलाइन नुकसान की सूचना देनी होगी। इन दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार का हिस्सा तथा प्याज उत्पादक बीमित किसानों को भुगतान किए गए दावों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.1340

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक नामांकित किसान आवेदनों, केंद्र सरकार का शेयर और प्याज उत्पादक किसानों को भुगतान किए गए दावें का राज्य-वार विवरण

राज्य	किसानों के आवेदन	भारत सरकार का शेयर	भुगतान किए गए दावे
	(संख्या में)	(रु. लाख में)	
आंध्र प्रदेश	1,33,124	680.13	8,471.65
छतीसगढ	7,312	90.42	97.04
मध्य प्रदेश	1,29,996	1,305.80	9,228.25
महाराष्ट्र	**16,41,473**	**21,273.16**	**37,439.44**
ओडिशा	10,214	5.86	15.53
राजस्थान	1,53,380	6,207.97	4,728.66
तमिलनाडु	2,65,347	4,193.12	15,628.71
तेलंगाना	22	0.32	0.85
पश्चिम बंगाल	419	16.87	-
कुल (अखिल भारत)	**23,41,287**	**33,773.67**	**75,610.11**

*****